



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

26 भाद्र , 1943 (श०)

संख्या-472 राँची, शुक्रवार,

17 सितम्बर, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

8 सितम्बर, 2021

संख्या-5/आरोप-1-53/2017का०-4693—श्रीमती नमिता नलिनी बाखला, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-776/03, गृह जिला- गुमला), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, खूँटी, सम्प्रति- मृत के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1857, दिनांक-17.04.2017 द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, विशुनपुरा, गढ़वा के पद पर योगदान/प्रभार ग्रहण नहीं करने के लिए प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया। बाद में, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना सं०-2507, दिनांक 19.05.2017 द्वारा श्रीमती बाखला की सेवा कार्मिक विभाग को वापस कर दी गई, जिसके आलोक में विभागीय अधिसूचना सं०-6585, दिनांक-26.05.2017 द्वारा श्रीमती बाखला को कार्यपालक दण्डाधिकारी, गिरिडीह के पद पर पदस्थापित किया गया, किन्तु श्रीमती बाखला द्वारा इस पद पर भी योगदान/प्रभार ग्रहण नहीं किया गया ।

श्रीमती बाखला द्वारा अधिसूचित पद पर योगदान न करने एवं अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण विभागीय संकल्प संख्या-86(HRMS), दिनांक-29.01.2018 द्वारा श्रीमती बाखला को निलम्बित किया गया एवं इनके विरुद्ध विभाग स्तर पर पूरक प्रपत्र-‘क’ गठित करते हुए

विभागीय संकल्प संख्या-136(HRMS), दिनांक-12.02.2018 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त श्रीमती बाखला को सेवा से मुक्त करने के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक-2322, दिनांक-12.03.2019 एवं विभागीय पत्रांक-3810, दिनांक-18.05.2019 द्वारा इनसे द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी। परन्तु उनसे द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब अप्राप्त रहा।

समीक्षोपरांत श्रीमती बाखला पर उक्त दण्ड अधिरोपित करने हेतु झारखण्ड लोक सेवा आयोग से सहमति संसूचित करने का अनुरोध किया गया। झारखण्ड लोक सेवा आयोग, झारखण्ड के पत्रांक-352, दिनांक-12.02.2020 के द्वारा सहमति संसूचित किया गया।

श्री बाखला के विरुद्ध प्रस्तावित दण्ड पर पुनः निर्णय लिया गया कि इन्हें अंतिम रूप से योगदान करने हेतु पत्र भेजा जाय। उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक-2608, दिनांक-28.05.2020 द्वारा श्रीमती बाखला को अधिसूचित पद पर योगदान/प्रभार ग्रहण करने हेतु अंतिम अवसर प्रदान की गई, जिसके अनुपालन में उनके द्वारा अपने पत्र, दिनांक 23.06.2020 द्वारा सूचित किया गया कि वे व्यक्तिगत एवं पारिवारिक कठिनाईयों के कारण अधिसूचित पद पर योगदान नहीं कर पायी थी। साथ ही, उनके द्वारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान करने का अनुरोध किया गया।

श्रीमती बाखला द्वारा समर्पित उक्त आवेदन पर निर्णय के पूर्व ही श्रीमती बाखला की मृत्यु दिनांक 16.04.2021 को होने संबंधी सूचना प्राप्त हुई।

श्रीमती बाखला का निलंबित रहते हुए निधन होने के फलस्वरूप उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के संबंध में लिये जाने वाले निर्णय के बिन्दु पर विधि विभाग से मंतव्य की माँग की गयी। उक्त के आलोक में विधि विभाग के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता का परामर्श प्राप्त हुआ।

विद्वान महाधिवक्ता के परामर्श एवं झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-11(2) में निहित प्रावधान के आलोक में संबंधित मामले की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्रीमती बाखला के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में अधिसूचित पद का प्रभार ग्रहण नहीं करने से संबंधित आरोप प्रतिवेदित है तथा इसमें कोई वित्तीय मामला सन्निहित नहीं है। साथ ही, श्रीमती बाखला का निधन उनके निलंबनाधीन अवधि में दिनांक 16.04.2021 को हो गया है।

अतः श्रीमती नमिता नलिनी बाखला, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, खूँटी का असामयिक निधन दिनांक 16.04.2021 को होने के फलस्वरूप उनके निलंबन तथा उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के संबंध में निम्नांकित निर्णय लिया जाता है-

(i) विधि विभाग के परामर्श के आलोक में श्रीमती नमिता नलिनी बाखला का दिनांक 16.04.2021 को असामयिक निधन हो जाने कारण विभागीय संकल्प सं०-136(HRMS), दिनांक 12.02.2018 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

(ii) श्रीमती बाखला के निलंबन की तिथि दिनांक 29.01.2018 से उनके मृत्यु की तिथि दिनांक 16.04.2021 तक की अवधि को झारखण्ड सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-11(2) के तहत सभी प्रयोजनार्थ कर्तव्य पर माने जाने और उनके परिवार को उस अवधि के पूरे वेतन तथा भत्ते का भुगतान की स्वीकृति दी जाती है, जिसका वे निलंबित नहीं होने पर हकदार होते। ऐसा भुगतान करने के क्रम में पूर्व में दिये गये जीवन निर्वाह भत्ता एवं अन्य भत्ते एवं सरकारी बकाया ऋणों का समायोजन कर लिया जाएगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
